भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 455

24 जुलाई 2024 को उत्तर देने के लिए

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं

†455. **श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोल:**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान कर्नाटक राज्य में कार्यान्वित विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित केन्द्र प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं का योजना-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त प्रत्येक योजना के लिए आवंटित, स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान निर्धारित और प्राप्त किए गए वास्तविक लक्ष्यों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कमी पाई है और यदि हां, तो उन कमियों को किस प्रकार दूर किया गया है?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) अपने तीन मुख्य विभागों नामत: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) / वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) विषयक कई केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

डीएसटी देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में प्रधान भूमिका निभाता है। डीएसटी के कार्यक्रमों को निम्नलिखित छत्र योजनाओं के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है:

i. एस एंड टी संस्थागत और मानव क्षमता वर्धन
ii. अनुसंधान और विकास

iii. नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन

iv. राष्ट्रीय एकाधिक ज्ञानशाखागत साइबर-भौतिक प्रणाली मिशन

डीबीटी कर्नाटक सहित अखिल भारतीय स्तर पर दो केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं अर्थात् 'अनुसंधान और विकास (आर एंड डी)' योजना और 'औद्योगिक और उद्यमशीलता विकास' को कार्यान्वित कर रहा है।

डीएसआईआर पेटेंट अर्जन और सहयोगशील अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास (पीएसीई) और प्रौद्योगिकी विकासक और प्रसारक ज्ञान तक पहुँच (ए 2 के +) योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) और (ग): कर्नाटक राज्य में उपर्युक्त योजनाओं के तहत स्वीकृत, जारी और प्रयुक्त निधियों का विवरण और साथ ही पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्धारित और प्राप्त वास्तविक लक्ष्यों का विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

छत्र योजनाओं के नाम	**वित्त वर्ष 2019-20 से अब तक स्वीकृत/जारी/उपयोग की गई धनराशि (करोड़ रुपये में)**	**निर्धारित और प्राप्त किए गए भौतिक लक्ष्य**
क. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग		
i. अनुसंधान एवं विकास	251.29	नीति आयोग के आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) के अनुसार प्राप्त भौतिक लक्ष्य (लिंक: https://dmeo.gov.in/index.php/output-outcome-framework)
ii. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता वर्धन	281.59	
iii. नवोन्मेष प्रौद्योगिकी विकास और तैनाती	213.01	
iv. राष्ट्रीय एकाधिक ज्ञानशाखागत साइबर-भौतिक प्रणाली मिशन	99.58	
कुल (क)	**845.47**	
ख. जैव प्रौद्योगिकी विभाग		
i. जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास	91.72	नीति आयोग के आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) के अनुसार प्राप्त भौतिक लक्ष्य (लिंक: https://dmeo.gov.in/index.php/output-outcome-framework)
ii. औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास	9.60	
कुल **(ख)**	**101.32**	

ग. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग		
i. पेटेंट अर्जन और सहयोगशील अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास (पीएसीई)	0.90	नीति आयोग के आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) के अनुसार प्राप्त भौतिक लक्ष्य (लिंक: https://dmeo.gov.in/index.php/output-outcome-framework)
ii. प्रौद्योगिकी विकासक और प्रसारक ज्ञान तक पहुंच (ए2के+)	1.13	
कुल **(ग)**	**2.03**	
कुल योग **(क+ख+ग)**	**948.82**	

(घ) उपर्युक्त योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार को कोई बड़ी त्रुटि नहीं मिली है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का ऐसे मूल्यांकन एवं निगरानी आधारभूत सिद्धांत के माध्यम से आवधिक अनुवीक्षण किया जाता है, जिसमें परिणामों के मूल्यांकन के लिए संकेतक शामिल होते हैं।

*****